Airo International Journal
ISSN: 2320-3714
Volume: 23, Issue 1, October 2020

Peer Reviewed
Multidiciplinary Indexed Journal
Impact Factor" 0.75-5.68

कृषि वित्त में गैर संस्थागत बैंकों की भूमिका

डॉ0 दिनेश चन्द्र द्विवेदी

असि0 प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर उ0 प्र0

शोध पत्र

प्राचीन काल से ही कृषि मानव के जीवन–यापन का प्रमुख साधन रही हैं। आधुनिक औद्योगिक युग में भी कृषि ही विश्व की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय एवं आय का स्त्रोत हैं। वास्तव में कृषि समस्त उद्योगों की जननी मानव जीवन की पोषक, प्रगति की सूचक तथा सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में प्रधान व्यवसाय होने के कारण कृषि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्त्रोत, रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन, औद्योगिक विकास, वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार हैं। कृषि इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास कुंजी है। कृषि विकास के सोपान पर चढ़ कर ही विश्व के विकसित राष्ट्र आज आर्थिक विकास के शिखर पर पहुॅच सके है। विकसित राष्ट्रों जैसे – इंग्लैण्ड, जर्मनी, रूस तथा जापान आदि देशों के विकास में, कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक के विचारकों ने कृषि विकास पर पर्याप्त बल दिया है।

फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री के अनुसार ''कृषि राष्ट्र की समस्त सम्पत्ति तथा समस्त नागरिकों के धन का स्त्रोत है। अतः कृषि का लाभप्रद होना सरकार एवं राष्ट्र के लिए बात होगी।''[1]

कृषि के महत्व के बारे में महात्मा गाँधी ने कहा था–[2] ''प्रारंभ से ही मेरा अटूट विश्वास रहा है कि केवल कृषि ही देश के लोगों को अचूक एवं सतत् सहायता प्रदान करती हैं।'' 20वीं सदी के महान नोबेल पुरस्कार महान अर्थशास्त्री गुन्नर मिड्रल ने ''एशियन ड्रामा'' में

1 जीड एवं रीस्ट – ''ए हिस्ट्री ऑफ इकानाममिक थाट'', लांगबेल प्रकाशन, लन्दन, पृ0 28
2 महात्मा गॉधी – ''हरिजन'' – पत्रिका अंक 16 सितम्बर 1946, अग्रवाल की पुस्तक ''भारतीय कृषि का अर्थतंत्र'' से उद्धृत''

लिखा है भारत जैसे कृषि प्रधान विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास की दीर्घकालीन लड़ाई कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जीती या हारी जायेगी।[3]

प्रो. रेगनर नक्रसे के अनुसार– ''यदि कृषि और ग्रामीण विकास को तीव्रगति प्रदान करना है तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या के समाधान के साथ निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना होगा।''[4]

प्रो. बाल्डविन और मॉयर के अनुसार– ''कृषि औद्योगिकीकरण का आधार तथा आर्थिक विकास की कुंजी है।''[5]

''संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिवेदन में भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुये कहा गया है कि ''कृषि क्षेत्र में पूरक परिवर्तन किये बिना औद्योगिक क्षेत्र का असंतुलित एवं तीव्र विकास, अर्थव्यवस्था में ऐसी दशायें उत्पन्न कर सकता है। जिससे कि आर्थिक विकास पूर्णतया अवरूद्ध हो जाये जैसे– भुगतान संतुलन की कठिनाईयाँ, मुद्रा स्फीति, अत्याधिक नगरीकरण तथा सामाजिक ढ़ाँचें का विकृत होना चाहिये।''[6]

विकासवादी अर्थशास्त्री प्रो. लुईस के अनुसार– ''आर्थिक विकास का प्रारंभ कृषि विकास से पहले होना चाहिये। यदि कृषि विकास एक ऊँचे लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो औद्योगिक विकास को स्वतः प्रोत्साहन मिलने लगता है और आर्थिक विकास के ऊँचे स्तर पर कृषि का महत्व क्रमशः कम तथा औद्योगिक व सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः बढ़ता जाता है।''[7]

कृषि वित्त और आर्थिक विकास– भारतीय कृषि की निम्न विकास दर के पीछे अन्य अनेक कारणों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषकों की दयनीय आर्थिक दशा तथा दीर्घकाल से विद्यमान उनकी ऋण ग्रस्तता की समस्या है। इसलिये यह कथन प्रचलित है, कि भारतीय कृषि धनी है लेकिन कृषक सदैव निर्धन बना रहता है। पूंजी की कमी, व्यापक

3 गुन्नर मिड्रल – एिशयन ड्रामा. . . ''पृ. 116. 1968 न्यूयार्क।
4 रेगेनर नकर्से – ''ए. प्राब्लम ऑफ कैपिटल फार्मेशन इन अंडर डेवेल्पड कन्टीज'', 1979, मैकग्रा पब्लिके"ान, न्यूयर्क, पृष्ठ 46–49।
5 मायर एवं बाल्डविन –''इकानमिक डेव्हलपमेंट'', लन्दन प्रेस, लन्दन, 1991, पृ.106।
6 संयुक्त राष्ट्र संघ – ''विश्व आर्थिक प्रतिवेदन'' 2000–01।
7 लुईस, डब्ल्यू आर्थर, ''दी थ्योरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ'' – 116

निर्धनता और ऋण ग्रस्तता की समस्या से मुक्ति पाये बिना कृषि विकास में पूंजी और वित्त को अधिकाधिक आपूर्ति करने की नितांत आवश्यकता है।

कृषि में वित्त का उतना ही महत्व है, जितना कि एक स्वस्थ शरीर के कुशल संचालन में रक्त का योगदान होता है।'' यदि कृषि में विद्यमान निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना है और छिपी हुई बेरोजगारी के स्थान व्यापक ग्रामीण क्षेत्र में नियमित रोजगार प्रदान करना है। तो सरकार और बैंकिंग संस्थाओं को कृषि और ग्रामीण वित्त में विविधता लाना होगा तथा सिंचाई, उन्नत बीज रासायनिक, जैविक तथा कम्पोस्ट खाद, भारी कृषि उपकरण तथा भूमि संरक्षण तथा कीटनाशक दवाईयों की अधिकाधिक उपलब्धता के साथ कृषि उद्योग व स्वरोजगार की योजनाओं में भारी विनियोग करना होगा।''

भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोनटेक सिंह आहूलिया ने ग्यारहवीं योजना के मध्यवर्ती समीक्षा में लिखा है कि ''भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक निर्धनता, न्यून उत्पादकता, सर्वाधिक बेरोजगारी और संरचनात्मक सुविधाओं की आज भी अपूर्णता होने के कारण बैंकिंग संस्थाओं का वित्तीय सहायता का मात्रा में और अधिक सतत् वृद्धि की आवश्यकता बनी रहेगी।''[8] शासन और सरकार की भावी योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च महत्ता बनाये रखना आवश्यक होगा। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में कृषि वित्त का सर्वोपरि महत्व है। भूमि सुधार, सिंचाई, उन्नत बीज नये कृषि भारी उपकरण के क्रय करने वित्त की पर्याप्त आवश्यकता सभी स्तरों में होती है। कृषि वित्त से आशय ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने में है। भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार– ''कृषि की वह साख जिसकी उसे कृषि कार्यों में पूर्ण करने में आवश्यकता होती है, कृषि वित्त या साख के अंतर्गत आती है।'' दूसरे शब्दों में, कृषि वित्त या साख से तात्पर्य उस वित्त अथवा साख से होता है जिसका उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु किया जाता है। कृषि वित्त की आवश्यकता सामान्यतया भूमि सुधार, खाद,

8 आहुवालिया, मोनटेक सिंह– ''ग्यारहवीं योजना मध्यवर्ती समीक्षा'' (अंग्रेजी में) पृष्ठ 16.

बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र क्रय करने, सिंचाई की व्यवस्था करने विपणन से संबंधित कार्य या कृषि से संबंधित कार्य या कृषि से संबंधित अन्य किसी कार्य के लिये हो सकती है।

कृषि वित्त की आवश्यकता – उद्देश्य और समय के अनुसार कृषकों की वित्त की आवश्यकता की निम्नांकित भागों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. **समय के अनुसार** – समय का अभिप्राय उस अवधि से है जिसमें ऋण चुकाया जाता है। समय के अनुसार वित्त की आवश्यकता को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है– (1) अल्पावधि वित्त या ऋण– कृषक को बीज, उर्वरक, धरा, श्रमिकों की मजदूरी तथा अन्य तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये साख या ऋण की आवश्यकता होती हैं। इस साख या ऋण की अवधि 15 माह तक होती है। जब फसल काट ली जाती है तो ऐसे ऋण को चुका दिया जाता है, (2) मध्यावधि वित्त या ऋण –कृषक को अपनी भूमि में सुधार के लिये कुछ साख–ऋण की आवश्यकता होती है। जैसे–कृषि उपकरण क्रय करने या सिंचाई व्यवस्था करने या पशु क्रय करने के लिये। ऐसे ऋण की अवधि 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, (3) दीर्घावधि वित्त या ऋण–इस साख की आवश्यकता उस समय होती है। जब कृषक नई भूमि क्रय करना, अपने भू–खण्ड की मात्रा बढ़ाना, पुराने ऋण चुकाना, भूमि में कोई स्थाई सुधार करना या कृषि के लिए मूल्यवान मशीनरी (जैसे–ट्रेक्टर) आदि खरीदना चाहता है। इस प्रकार के साख ऋण की अवधि 5 वर्ष से 10 या 40 वर्ष तक हो सकती है।
2. **उद्देश्य के अनुसार** – उद्देश्य के अनुसार कृषि साख को तीन भागों में बांटा जा सकता है– (1) उत्पादक ऋण – कृषकों को कृषि मशीनरी, उर्वरक एवं खाद उन्नतिशील बीज खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने, ट्यूबवेल एवं पंपिंग सेट लगवाने, खेती में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग आदि के लिये ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण की इन आवश्यकताओं को उत्पादक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इनका उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं से सीधा संबंध

होता है, (2) उपभोग ऋण– फसल की बुवाई से लेकर उसकी ब्रिकी तक के समय में कृषक को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूति हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ऋण उपभोग ऋण की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं, (3) अनुत्पादक ऋण– इसके अंतर्गत वे ऋण आते हैं। जो कृषक सामाजिक रीति–रिवाजों की पूर्ति तथा गहने बनवाने व मुकदमेबाजी आदि के लिये लेते हैं। चूंकि इस प्रकार के ऋण उत्पादक कार्यों में नहीं लगाये जाते, इस कारण इन्हें अनुत्पादक ऋण कहा जाता है। कृषि वित्त के स्त्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है– (1) गैर संस्थागत स्त्रोत, (2) संस्थागत स्त्रोत। (1) गैर संस्थागत स्त्रोत के अंतर्गत– (1) महाजन, साहूकार, (2) व्यापारी, कमीशन एजेंट, (3) मित्र एवं रिश्तेदार, (4) भू–स्वामी तथा अन्य।

(1) महाजन तथा साहूकार–

इसके अंतर्गत ग्रामीण साख (वित्त प्रदान करने) का सबसे प्राचीन स्त्रोत है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारों को दो वर्गो में विभाजित किया– प्रथम, कृषक साहूकार है जो द्वितीय वर्ग में व्यावसायिक साहूकार है जिनका प्रमुख व्यवसाय ही रूपया उधार देना है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति ने यह अनुमान लगाया था कि कृषि साहूकार का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यावसायिक साहूकारों का। वास्तव में इस गैर–संस्थागत व्यवस्थाओं की लोकप्रियता इस कारण है कि– (1) वे उत्पादक एवं अनुत्पादक तथा अल्पकालीन व दीर्घकाल दोनों ही उद्देश्यों के लिये ऋण प्रदान करते हैं, (2) इनकी ऋण प्रदान करने की पद्धति सरल होती है, (3) अधिक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती एवं (4) इनके संपर्क करना अत्यंत सुगम होता हैं।

दोष– (1) अत्याधिक ऊँची ब्याज दर, (2) किसानों व ऋणी का अंगूठा का निशान लगवाकर मनमानी राशि वसूल करना, (3) शादी ब्याह, त्यौहार एवं अन्य अनुत्पादक मदों पर अधिक ऋण, (4) किसानों का ऋण के कुचक्र जाल में फंस जाना। 1960 तक कुल कृषि साख में

महाजन का अंशदान योगदान 62 प्रतिशत था जो क्रमशः घटकर 2008–09 में 14.5 प्रतिशत हो गया।

(2) व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट–

व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट भी किसानों को कृषि उत्पादक कार्यो हेतु एवं साख की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा कुछ विशेष फसलों जैसे–फल, तम्बाकू, मूँगफली आदि के लिये ही ऋण प्रदान किये जाते हैं। 1950–51 में ग्रामीण कृषि साख में इनका हिस्सा 5.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2001–02 में घटकर 2.1 प्रतिशत रह गया।

(3) मित्र एवं संबंधी–

किसान आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों से नकद अथवा वस्तुओं के रूप मे उधार लेते हैं। इस प्रकार के ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप से दिये जाते हैं। इन पर ब्याज या तो लिया ही नहीं जाता या ब्याज की दर बहुत नीची जाती है। ऐसे ऋण प्रायः अल्पकालीन होते हैं जो फसल तैयार होने पर कृषक द्वारा लौटा दिये जाते हैं।

(4) भू–स्वामी एवं अन्य–

छोटे कृषक एवं काश्तकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भू–स्वामियों तथा अन्य पर निर्भर रहते हैं। कभी–कभी कृषक भू–स्वामी तथा अन्य स्त्रोतों से भी ऋण प्राप्त करते हैं।

समस्या और सुझाव :

(1) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल कृषकों की संख्या 2.85 लाख से अधिक है। अतः आधे से अधिक ग्रामीण कृषकों को अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिला है।

(2) लघु और सीमान्त अपात्र कृषकों की संख्या इस समय ज्यादा है अतः उन्हें औपचारिक ऋण वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिये विशेष प्रयास करना होगा।

(3) वित्तीय समावेषण के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कार्य शीघ्र होना जरूरी है –

- जोतों के आधार पर कृषकों की सूचियाँ बनाना।
- इन सूचियों में से समय से ऋणों का भुगतान करने वाले तथा चूककर्त्ता (डिफाल्टर्स) कृषकों की बैंकों द्वारा अलग पहचान करना।
- पात्र एवं समय पर ऋण भुगतान वाले श्रेष्ठ कृषकों को व्यापक ऋण सुविधायें हेतु प्रोत्साहन करना।
- चूककर्त्ता/अप्राप्त कृषकों को भी सही दिशा में प्रोत्साहन एवं सुविधायें देकर बैंक ऋण की नई पात्रता का प्रयास कराना।
- साथ ही एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक जिले की स्थानीय फसलों को अधिसूचित करने का प्रयास करना चाहिए।

उपरोक्त समस्त बातों को दृष्टिगत करके, शासन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए तथा विकास विभागों से चर्चा के उपरांत एवं उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी जरूरतों के लिये करीबन 10 प्रतिशत बड़े कृषकों को उन फसलों के लिये जिनके लिये सामान्यतः ऋण लिया जाता है उनके लिये बैंक से ऋण हेतु संभाव्यता आंकलित की गई है।

Airo International Journal
ISSN: 2320-3714
Volume: 23, Issue 1, October 2020

Peer Reviewed
Multidiciplinary Indexed Journal
Impact Factor" 0.75-5.68

– : संदर्भ स्रोत : –

1. जीड एवं रीस्ट – ''ए हिस्ट्री ऑफ इकानाममिक थाट'', लांगबेल प्रका"ान, लन्दन
2. महात्मा गॉधी – ''हरिजन'' – पत्रिका अंक 16 सितम्बर 1946,
3. अग्रवाल ''भारतीय कृषि का अर्थतंत्र''
4. गुन्नर मिड्रल – एि"ायन ड्रामा. . . मैकग्रा पब्लिके"ान , न्यूयार्क, 1968
5. रेगेनर नकर्से – ''ए. प्राब्लम ऑफ कैपिटल फार्मेशन इन अंडर डेवेल्पड कन्टीज'', 1979, मैकग्रा पब्लिके"ान, न्यूयार्क
6. मायर एवं बाल्डविन –''इकानमिक डेव्हलपमेंट'', लन्दन प्रेस, लन्दन
7. संयुक्त राष्ट्र संघ – ''विश्व आर्थिक प्रतिवेदन'' 2010–11।
8. लुईस, डब्ल्यू आर्थर, ''दी थ्योरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ''
9. आहुवालिया, मोनटेक सिंह– ''ग्यारहवीं योजना मध्यवर्ती समीक्षा''